

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 27, शुक्रवार, शाके 1947- जुलाई 18, 2025 Asadha 27, Friday, Saka 1947- July 18, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 20, 2025

संख्या ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2025/राजकाज-6799/डी-1355 :- दिनांक 20.06.2025 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में मास्टर विकास योजना-2011 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु दिनांक 22.02.2025 के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, 15 दिवस की नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में ज.वि.प्रा. स्तरीय भू- उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 37 वीं दिनांक 20.05.2025 लिये गये निर्णय अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

-:उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कूकस, तहसील- आमेर के खसरा नं. 507/2325, 508, 544, 444/2326, 484, 487, 490, 491, 492, 499, 500, 501/2328, 504, 510, 549/2331, 550, 485, 488, 496, 497, 498, 499/2493, 501, 501/2329, 503, 509, 513, 545, 546/2181, 549, 486, 489, 492/2327, 493, 494, 495, 502, 505, 506, 507, 512, 547, 550/2330, 546, 511 कित्ता-45 कुल क्षेत्रफल 7.47 हेक्टेयर (66081.59 वर्गमीटर) भूमि संस्थानिक भूखण्ड का संस्थानिक प्रयोजन से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू- उपयोग परिवर्तन किया जाता है। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20.06.2025 को जारी की गयी। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं दो राज्यस्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

निशान्त जैन,
सचिव।